भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3390
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना

3390. डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनसे किसानों को काफी लाभ हुआ है, क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए मेगा फूड पार्क योजना तथा शीतागार श्रृंखला अवसंरचना के विकास में अब तक क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से कृषि उत्पादकता, ग्रामीण विकास तथा रोजगार सृजन में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है; और

(घ) इस क्षेत्र में प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बुनियादी ढांचे की स्थापना/ विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि होगी। ये योजनाएं क्षेत्र विशेष नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं।

देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कुल 1141 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनसे लगभग 5.04 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।

पीएमकेएसवाई के तहत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क, 394 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 536 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और

फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पीएमएफएमई के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। देश में पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 1,27,758 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए चालू है। देश में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (मिनी फूड पार्क), एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सहित खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए पीएमकेएसवाई की अपनी घटक योजनाओं के अंतर्गत पात्र परियोजना प्रस्तावों को पूंजी सब्सिडी के रूप में अनुदान प्रदान करता है ।

मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया है । तथापि, मंत्रालय पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक उप-घटक योजना लागू कर रहा है, जिसका नाम कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी)के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण है, जो मेगा फूड पार्क योजना के समान है, लेकिन छोटे पैमाने पर है, जिसमें केवल 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 1958.53 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के साथ 4660.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले 41 मेगा फूड पार्कों और 2970.89 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के साथ 11466.38 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 394 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सके, कृषि उत्पाद की बर्बादी कम हो, उत्पादकता बढ़े, प्रसंस्करण स्तर बढ़े, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और समावेशी विकास में योगदान मिले।

मंत्रालय देश भर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता के परियोजनाओं का चयन समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर किया जाता है।

*****